(41)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 2148–पीबीआर / 14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–8–2014	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण 2 आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन	28/8/14

	का आधार नहीं हो सकता है. । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है। (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	

समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर भोपाल कैम्प (म.प्र.)

रिव्यू 2148-PBR/14

पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक ..../2014

श्रीमती आशा देवी त्रिपाठी पत्नि श्री आर.पी.त्रिपाठी,
आयु–वयस्क, निवासी–जी.5/50, साउथ टी.टी.नगर,
भोपाल (म.प्र.) हाल मुकाम–ग्राम नीलबड़, तहसील–
हुजूर, जिला–भोपाल (म.प्र.) .... आवेदिका

विरूद्ध

श्री रामनारायण वर्मा आत्मज श्री श्रीकृष्ण वर्मा,
आयु–वयस्क, निवासी–मं.नं.–137, कोटरा–
सुल्तानाबाद, भोपाल (म.प्र.) ....अनावेदक

पुनर्विलोकन आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदिका द्वारा अनावेदक के विरूद्ध समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर भोपाल कैम्प (म.प्र.) के विरूद्ध निगरानी आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 का प्रस्तुत किया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक–1878/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30/05/2014 से दुःखित होकर आवेदिका द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन निम्नलिखित तथ्यों एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत किया जा रहा है:–

आवेदक के पति श्री आर. पी. त्रिपाठी द्वारा आज दिनांक ... को